राजा बनाम हरियाणा राज्य

947

(राजीव शर्मा, जे.)

राजीव शर्मा और हरिंदर सिंह सिद्धू से पहले , जे. जे.

राजा-अपीलार्थी बनाम

हरियाणा राज्य-2017 का उत्तरदाता सीआरए-डी No.484-DB

28 मई, 2019

भारतीय दंड संहिता, **1860-Ss.120-B, 452,326-**ए और **34-**दंड प्रक्रिया संहिता, **1973-S-357A** आपराधिक अपील-आई. पी. सी. की धारा **120-**बी, **452** और **326-**ए के तहत **34 IPC** दंडनीय अपराधों के लिए आरोपित, मुकदमा चलाने और दोषी ठहराए गए अपीलकर्ता-अपीलकर्ता राजा ने सुमन पर तेजाब फेंकने के लिए आरोपी आजाद उर्फ इस्माइल को काम पर रखा था-आजाद ने सुमन और उसकी बेटी रुचि पर तेजाब फेंका-आजाद ने बहाना की याचिका ली-अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे मामला साबित किया-अपील खारिज कर दी गई-आयोजित-एक बार बहाना की याचिका ली गई लेकिन साबित नहीं हुई, यह अभियोजन पक्ष के मामले को विश्वास दिलाता है कि आरोपी घटना के समय मौजूद था-आयोजित, तेजाब हमले पीड़ितों के बुनियादी मानव अधिकार के आनंद का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है साथ नागरिक एसिड हमलों के लगातार बढ़ते मामलों का एकल और नियनट्रिल करने के लिए अनिवार्य निर्देश जारी किए गए।

यह माना जाता है कि एक बार बहाना की याचिका ली गई है लेकिन साबित नहीं हुई है, यह अभियोजन पक्ष के मामले को विश्वास दिलाता है कि आरोपी घटना के समय मौजूद था।

(पैरा 22)

ने आगे कहा कि तेजाब हमलों का बढ़ता खतरा पीड़ितों के बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है।पीड़ितों को गरिमा और सम्मान के साथ अपना जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है।किसी भी व्यक्ति को अन्य साथी नागरिकों द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है।प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीने का अधिकार है।

(पैरा 24)

ने आगे कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार है जिसमें किसी भी प्रकार की मानसिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक यातना से मुक्त रहने का अधिकार भी शामिल है, चाहे वह पीछा करना, यौन उत्पीड़न, जलाना आदि हो। तेजाब जलने का

शिकार व्यक्ति कलंकित और आघातग्रस्त होता है।

(पैरा 34)

ने आगे कहा कि तेजाब हमलों के लगातार बढ़ते मामलों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए, हम निम्नलिखित अनिवार्य निर्देश जारी करते हैंः



ए. हरियाणा और पंजाब राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के सभी निजी अस्पतालों को 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 3 एस. सी. सी. 669, लक्ष्मी बनाम के अनुसार तेजाब हमले के पीड़ितों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। भारत संघ और अन्य और अन्य समान मामले।

बी. हरियाणा और पंजाब राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में किसी भी व्यक्ति को काउंटर पर तेजाब की कोई बिक्री नहीं होगी, सिवाय एक लाइसेंस प्राप्त डीलर से दूसरे को या किसी लाइसेंस प्राप्त डीलर द्वारा किसी स्कूल या कॉलेज को या किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी या किसी मान्यता प्राप्त सार्वजनिक संस्थान या औद्योगिक फर्म के तहत किसी शोध या चिकित्सा संस्थान या अस्पताल या औषधालय को।यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से तेजाब बेचता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी।

ग. चूंकि मौजूदा प्रावधान असहाय महिलाओं पर तेजाब फेंकने वाले हमलों को रोकने में विफल रहे हैं, इसलिए हरियाणा और पंजाब राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को आई. पी. सी. की धारा 326 ए, 326 बी, 354 ए, 354 बी, 354 सी और 354 डी से संबंधित अपराधों में शीघ्र प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है। ऐसे सभी मामलों में राजपत्रित अधिकारी की देखरेख में सात दिनों के भीतर जांच पूरी की जाएगी और उसके बाद चालान को सात दिनों के भीतर सक्षम आपराधिक अदालत में पेश किया जाएगा।राजपत्रित अधिकारी को दोषपूर्ण जाँच के मामले में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा।डी. यौन उत्पीड़न, पीछा करने, दृश्यता और तेजाब जलाने से संबंधित मामलों को तेजी से ट्रैक करने की आवश्यकता है।हरियाणा और पंजाब राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की निचली अदालतों को निर्देश दिया जाता है कि वे आई. पी. सी. की धारा 326 ए, 326 बी, 354 ए, 354 बी, 354 सी और 354 डी के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई दिन-प्रतिदिन के आधार पर करें और तीन महीने के भीतर मुकदमे को समाप्त करें और यदि तीन महीने के भीतर मुकदमे को समाप्त करना संभव नहीं है, तो निचली अदालत द्वारा ठोस और पर्याप्त कारण दर्ज किए जाएंगे।निचली अदालत तेजाब हमलों से संबंधित मामलों में उचित संवेदनशीलता दिखाएगी।ई. हरियाणा और पंजाब राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की सरकारों को भी निर्देश दिया जाता है कि वे मुकदमे के समापन तक आई. पी. सी. की धारा 326 ए, 326 बी, 354 ए, 354 बी,

354 सी और 354 डी के तहत दर्ज मामलों में मुकदमे के लंबित रहने के दौरान चश्मदीद गवाहों को सुरक्षा प्रदान करें।

राजा बनाम हरियाणा राज्य

949

(राजीव शर्मा, जे.)

च. हरियाणा और पंजाब राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की सरकारों को भी सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण के उद्देश्य से तेजाब हमलों के पीड़ितों को शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी में शामिल करने और उनके पुनर्वास के लिए अलग योजना बनाने का निर्देश दिया गया है।

G. हरियाणा और पंजाब राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि आज से तीन महीने के भीतर हर जिला अस्पताल में जलने की चोटों से संबंधित मामलों के लिए विशेष वार्ड उपलब्ध कराया जाए ताकि संक्रमण से बचा जा सके।

एच. हरियाणा और पंजाब राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की सरकारों को तेजाब हमलों के पीड़ितों को उनके पूरी तरह से ठीक होने तक मुफ्त चिकित्सा सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।

I. हरियाणा और पंजाब राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की सरकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे एफ़. आई. आर. दर्ज होने के तुरंत बाद तेजाब हमले के पीड़ितों को एक लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करें। थर्ड/फोर्थ डिग्री जलने वाले पीड़ितों को 7,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं।हरियाणा और पंजाब राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को भी रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। 5, 000/- प्रति माह, उन मामलों में, जहां जलने की चोटें प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की हैं।पीड़ित भी रुपये की राशि के हकदार हैं। 3,00,000- (रुपये

तीन लाख) जैसा कि माननीय सर्वोच्च के प्रभुओं द्वारा आदेश दिया गया था

अदालत।

(पैरा 35)

केशव प्रताप सिंह, कानूनी सहायता वकील,

अपीलार्थी के लिए

2017 के सी. आर. ए.-डी. 484-डी. बी. में।दलीप सिंह, अधिवक्ता,

गुलाम नबी मलिक के लिए, अधिवक्ता

अपीलार्थी के लिए

2017 के सी. आर. ए.-डी-860-डी. बी. में।

गगनदीप सिंह वासू, एडिशनल।ए. जी, हरियाणा।

**राजीव शर्मा, जे.**

(1) चूंकि इन दोनों अपीलों में कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न शामिल हैं, यानी 2017 की सी. आर. ए.-डी. 484-डी. बी. और सी. आर. ए.-डी.-860-डी. बी.



इसलिए, 2017 के इन्हें एक साथ लिया जाता है और एक सामान्य निर्णय द्वारा निपटाया जाता है।

(2) ये दोनों अपीलें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुड़गांव द्वारा दिए गए दिनांकित 30.01.2017 के फैसले और दिनांकित 08.02.2017 के आदेश के खिलाफ निर्देशित हैं।अपीलार्थी राजा और आजाद उर्फ इस्माइल के साथ-साथ सह-अभियुक्त आरिफ पर आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 120-बी, 452 और 326-ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाया गया और मुकदमा चलाया गया। अपीलार्थी आज़ाद उर्फ इस्माइल को दोषी ठहराया गया और निम्नानुसार सजा सुनाई गईः-

| अपराध | वाक्य |
|---|---|
| धारा 452 आई. पी. सी. | तीन साल के लिए कठोर कारावास और 5,000/- रुपये का जुर्माना और जुर्माने का भुगतान न करने पर तीन महीने के लिए साधारण कारावास। |
| आई. पी. सी. की धारा 326-ए के तहत | आजीवन कठोर कारावास और ,1 लाख रुपये का |

| | |
|---|---|
| | जुर्माना देना-और जुर्माने का भुगतान न करने पर, दो साल के लिए साधारण कारावास। |
| आई. पी. सी. की धारा 120-बी के तहत (आई. पी. सी. की धारा 326-ए के तहत अपराध करने की साजिश रचने के लिए) | आजीवन कारावास की सजा। |

अपीलार्थी राजा को दोषी ठहराया गया और निम्नानुसार सजा सुनाई गईः-

| अपराध | वाक्य |
|---|---|
| आई. पी. सी. की धारा 120-बी के तहत (आई. पी. सी. की धारा 326-ए के तहत अपराध करने की साजिश रचने के लिए) | आजीवन कारावास की सजा। |

आजाद उर्फ इस्माइल की सभी सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया गया था।हालांकि, सह-आरोपी आरिफ को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया था।

(3) अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में 15.12.2014, यह है कि ए. एस. आई. मीनावंती (ए. एस. आई.) सेक्टर 22 में गश्त और अपराध का पता लगाने के लिए मौजूद थे।उन्हें जानकारी मिली कि सदन नं. डी-65, धरम कॉलोनी, गुड़गांव, किसी शव ने एक महिला और एक लड़की पर तेजाब फेंका था।वह सिपाही देवेंद्र राजा बनाम हरियाणा राज्य के साथ

(पीडब्लू. 3) मौके पर पहुंचे।उन्हें पता चला कि घायलों को कोलंबिया एशिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है।वे अस्पताल पहुंचे।उन्होंने घायल सुमन (PW.10) और रुचि (PW.19) का मेडिकल रुका और एमएलसी प्राप्त किया।उसने डॉक्टर के पास एक आवेदन भेजा।डॉक्टर ने सुमन को बयान देने के लिए फिट घोषित कर दिया।उसने सुमन का बयान दर्ज किया।घायल सुमन के अनुसार, दोपहर लगभग 1:30 बजे, वह, उसकी बेटी रुचि, बेटा सूरज और छोटी बहन सुधा (PW.12) अपने किराए के आवास में मौजूद थीं।लगभग 18-20 वर्ष का एक युवा लड़का आया और उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया।उसने दरवाज़ा खोल दिया।लड़के ने कहा कि वह एक नलसाज था और उसे किसी ने बुलाया था।उसने अपने मोबाइल में मोबाइल नंबर दिखाया।उसने कहा कि वह नहीं जानती थी कि उक्त मोबाइल नंबर किसके पास था।लड़के ने बताया कि उक्त मोबाइल नंबर बंद था।उसने दरवाज़ा बंद कर लिया।लगभग तीस मिनट बाद, वह फिर से आया और दरवाजा खटखटाया।उन्होंने कहा कि उन्हें राम पाल के घर जाना है। उन्होंने कहा कि राम पाल नाम का कोई भी व्यक्ति वहां नहीं रह रहा था।इस बीच, उस अज्ञात लड़के ने एक छोटी सी बोतल से कुछ जलता हुआ पदार्थ (जबलानशील पादार्थ) उसकी छाती और शरीर पर फेंक दिया, जिसे वह अपने हाथ में पकड़े हुए था।उनकी बेटी रुचि भी वहाँ खड़ी थी और उस पर जलता हुआ पदार्थ भी गिर गया।फिर उसने छोटी बोतल फेंक दी, बाहर से उनका दरवाजा बंद कर दिया और भाग गया।उन्होंने शोर मचाया और रोए।इसके बाद, उनकी बहन सुधा उन्हें और उनकी बेटी को कोलंबिया एशिया अस्पताल ले गईं।एफ़. आई. आर. दर्ज की गई।सुमन की जली हुई शर्ट और जिस बोतल से तेजाब फेंका गया था, उसे मौके से एकत्र किया गया था।इन्हें एफएसएल जांच के लिए भेजा गया था।अभियुक्तों को 19.12.2014 पर गिरफ्तार किया गया था।उनके खुलासा बयान दर्ज किए गए।अभियुक्त आजाद की कानूनी रूप से चिकित्सकीय जांच भी कराई गई।एमएलआर दिनांक 19.12.2014 के अनुसार, उन्हें जलने के कारण चोटें आई थीं।शिकायतकर्ता और उसकी बेटी के बयान भी धारा 164 Cr.P.C के तहत दर्ज किए गए। सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद चालान पेश किया गया।

(4) अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में 19 गवाहों से पूछताछ की।अभियुक्तों के बयान भी धारा 313 Cr.P.C के तहत दर्ज किए गए थे। उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले से इनकार किया।उनके अनुसार, उन्हें मामले में गलत तरीके से फंसाया गया था।अभियुक्त आज़ाद उर्फ इस्माइल ने बहाना बनाकर याचिका दायर की।उन्होंने डी. डब्ल्यू. 1 फैज़ान की भी जाँच की।अपीलार्थियों को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई, जैसा कि ऊपर देखा गया है।इसलिए, ये अपीलें।

(5) अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष अपने मुवक्किलों के खिलाफ अपना मामला साबित करने में विफल रहा है।राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

उसने नीचे दिए गए विद्वान न्यायालय के निर्णय और आदेश का समर्थन किया है।(6) हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और निर्णय को पढ़ा है और बहुत सावधानी से रिकॉर्ड किया है।

(7) पीडब्लू. 1 डॉ. योगेंद्र सिंह ने आरोपी आजाद उर्फ इस्माइल के एमएलआर को Ex.PA के माध्यम से साबित किया। उन्होंने हलफनामा Ex.PW.1/A दाखिल करके अपने साक्ष्य का नेतृत्व किया। उनके अनुसार, 19.12.2014 पर, पुलिस ने एक आवेदन दायर किया, Ex.PB। उन्होंने अपनी राय दी, Ex.PC। अपने हलफनामे के अनुसार, उन्होंने कानूनी रूप से आजाद उर्फ इस्माइल की 19.12.2014 पर जांच की और उनके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाईः-

1. नाक के बाईं ओर एक भूरे रंग का काला पपड़ी, ऊर्ध्वाधर दिशा में आकार 0.5 सेमी x 2 सेमी।

2. दाहिने हाथ की पृष्ठीय सतह पर कलाई के आकार 1 के पास कई क्षेत्रों के साथ एक भूरे रंग का काला पपड़ी। 1.3 x 2 सेमी 2.1 x 1 सेमी।हाथ की पृष्ठीय सतह।

उस तरह का हथियार रासायनिक था।चोट की संभावित अवधि पाँच दिनों के भीतर थी।चोट की प्रकृति सरल थी।

(8) पी. डब्ल्यू. 7 कोलंबिया एशिया अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉ. संदीप ने हलफनामा Ex.PW.7/A और Ex.PW.7/B दाखिल करके अपने साक्ष्य का नेतृत्व किया। हलफनामे Ex.PW.7/A की सामग्री के अनुसार, घायल सुमन 15.12.2014 पर तेजाब से जलने के कथित इतिहास के साथ अस्पताल आया था।उनकी आयु 26 वर्ष थी।जाँच करने पर, उसके चेहरे, गर्दन और वक्ष के बाईं ओर और दोनों ऊपरी अंगों में जलन पाई गई।प्रारंभिक उपचार दिया गया और रोगी को उच्च केंद्र में भेजा गया।इसी तरह, हलफनामे Ex.PW.7/B के अनुसार, डॉ. संदीप ने रुचि की जांच की।वह 15.12.2014 पर भी उसके पास आई।जाँच में, उसके बाएँ ऊपरी अंग, पेट और माथे पर जलन पाई गई।

(9) पी. डब्ल्यू. 8 डॉ. अंकित गुप्ता, वरिष्ठ निवासी, आर. एम. एल. अस्पताल, नई दिल्ली ने हलफनामे के माध्यम से Ex. PW8/A और Ex. PW8/B अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया। हलफनामे के अनुसार, Ex. PW8/A सुमन को 15.12.2014 लगभग 8.26 बजे आर. एम. एल. अस्पताल, नई दिल्ली में भर्ती कराया गया था, जिसमें घर पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा तेजाब हमले का कथित इतिहास था। उनका इलाज IV तरल पदार्थ, ड्रेसिंग और एंटीबायोटिक पर किया गया था।एल/ई पर उसकी गर्दन, धड़ और दोनों ऊपरी अंगों पर लगभग 23 प्रतिशत गहरी जलन हुई थी।उन्हें 24.12.2014 पर छुट्टी दे दी गई थी।गर्दन, छाती और दाहिने ऊपरी हाथ पर जले के बाद के कच्चे क्षेत्र के लिए उसे 24.02.2015 पर फिर से भर्ती किया गया था और त्वचा के ग्राफ्टिंग के साथ 25.02.2015 पर ऑपरेशन किया गया था और 07.03.2015 पर छुट्टी दे दी गई थी।डॉ. अंकित गुप्ता ने हलफनामे Ex.PW.8/B में गवाही दी कि रोगी रुचि को 15.12.2014 पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

एल/ई पर उनके पास राजा बनाम हरियाणा राज्य था।

953

(राजीव शर्मा, जे.)

छाती, ऊपरी अंगों और जांघ दोनों पर लगभग 16 प्रतिशत जलन होती है। उनका इलाज IV तरल पदार्थ, ड्रेसिंग और एंटीबायोटिक पर किया गया था। उन्हें 19.12.2014 पर छुट्टी दे दी गई थी।

(10) पीडब्लू. 9 डॉ. अखिल ने भी हलफनामे Ex.PW.9/A और Ex.PW.9/B के माध्यम से अपने साक्ष्य का नेतृत्व किया। उन्होंने निर्वहन पर्ची Ex.PN और Ex.PN/1 साबित की।

(11) पीडब्लू. 3 कांस्टेबल देवेंद्र सिंह ने बयान दिया कि 19.12.2014 पर वह पुलिस स्टेशन पालम विहार, गुड़गांव में तैनात था। वह एल/ए. एस. आई. मीनावंती से जुड़े थे। वे रेजांगला चौक पर मौजूद थे। उन्हें एक गुप्त सूचना मिली कि तेजाब फेंकने वाले तीन व्यक्ति बजघेड़ा फाटक, गुड़गांव से मोटर साइकिल पर आ रहे हैं। उन्होंने गुड़गांव के कृष्णा चौक पर बैरिकेड्स लगा दिए। कुछ समय बाद बजघेड़ा की तरफ से तीन लड़के मोटर साइकिल पर आए, जिनका पंजीकरण नं. एचआर 26 बीई 1201। उन्हें पकड़ लिया गया। उन्होंने राजा, आजाद और आरिफ के रूप में अपनी पहचान का खुलासा किया। मोटर साइकिल को मेमो Ex.PF के माध्यम से कब्जे में ले लिया गया था। आरोपी आज़ाद, आरिफ और राजा ने क्रमशः Ex.PG, Ex.PH और Ex.PI का खुलासा किया।

(12) पीडब्लू. 5 रोशन लाल, रीडर टू लर्नड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, पटियाला हाउस, नई दिल्ली ने बयान दिया कि एएसआई मीनावंती द्वारा धारा 164 Cr.P.C के तहत पीड़ितों के बयान दर्ज करने के लिए 23.12.2014 पर दो अलग-अलग आवेदन Ex.PK और Ex.PK/1 दिए गए थे। विद्वान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट श्री सुरजीत सौरभ ने धारा 164 Cr.P.C के तहत Ex.PK/2 पीड़ित सुमन का बयान दर्ज किया। प्रमाणपत्र Ex.PK/3 है।

(13) PW.10 सुमन ने बयान दिया कि वह 15.12.2014 पर अपने कमरे में मौजूद थी। दोपहर करीब डेढ़ बजे एक आदमी ने उसका दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोल दिया। उसने देखा कि उसके कमरे के सामने एक आदमी खड़ा है। उन्होंने खुद को एक नलसाज बताया। उसने अपना मोबाइल दिखाया और उसे बताया कि एक मोबाइल नंबर बंद है। उसने उसे पहली मंजिल पर जाने और नलसाज की आवश्यकता के बारे में पूछताछ करने की सलाह दी। 15 मिनट के बाद उसने एक गिलास पानी माँगा। उसने उसे पानी दिया। उसने पानी लेने के लिए अपने चेहरे से रूमाल उतार दिया।उसने गिलास वापस कर दिया और चला गया।लगभग आधे घंटे के बाद वही आदमी फिर से उसके घर आया।उन्होंने रामपाल के घर के बारे में पूछताछ की।उसने उसे बताया कि वह रामपाल के बारे में नहीं जानती थी।उसने उसके शरीर पर तेजाब फेंक दिया जिससे उसके शरीर के विभिन्न हिस्से घायल हो गए।एसिड ने उनकी गर्दन, बाएं हाथ और छाती को नाभि तक प्रभावित किया। उस पर तेजाब फेंकने वाला आरोपी अदालत में मौजूद था। गवाह ने एक आरोपी की ओर इशारा किया, जिसने अपना नाम आजाद बताया। आरोपी बाहर से दरवाजा बंद करते हुए चला गया। उन्होंने उसकी बेटी रुचि पर भी

तेजाब फेंका था, जिसकी उम्र लगभग 9 वर्ष थी।



वर्षों से। उसने शोर मचाया।पड़ोसी उनके घर आए।उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया।इसके बाद उनकी बहन सुधा उन्हें कोलंबिया एशिया अस्पताल ले गईं।उन्हें भर्ती कराया गया।उसका बयान Ex.PO दर्ज किया गया था।इससे पहले, वह विभिन्न घरों में घरेलू सहायक के रूप में काम करती थी।राजा धरम कॉलोनी में चौकीदार के रूप में काम करते थे, जहाँ वह काम करती थी।उसने अदालत में आरोपी राजा की पहचान की।घरों के मालिक उसका वेतन राजा को देते थे।राजा उक्त वेतन उसे सौंप देता था।पहले पाँच-छह महीनों तक आरोपी उसे वेतन देता था।इसके बाद उसके साथ अभद्रता करने लगा।वह उसके साथ अवैध संबंध बनाना चाहता था।उसने मना कर दिया।उसने अपनी नौकरी छोड़ दी।उसके बाद भी आरोपी राजा उसे रोकता था और उससे बात करना चाहता था।उसने कोई जवाब नहीं दिया।यही कारण है कि उसने उस पर और उसकी बेटी पर तेजाब फेंक दिया।आरिफ आरोपी उस पर तेजाब फेंकने की घटना में भी शामिल था।अपनी जिरह में, उसने गवाही दी कि पुलिस ने घटना के दिन दोपहर 3 बजे उसका बयान दर्ज किया।उसका बयान भी एक न्यायाधीश द्वारा दर्ज किया गया था। नलसाज की सेवाओं की कोई आवश्यकता नहीं थी।

(14) सुधा PW.12 सुमन की बहन PW-10 है। उनके अनुसार, उनकी बहन सुमन और सुमन की बेटी रुचि, जिनकी उम्र लगभग 9 साल थी, सुमन का बेटा सूरज जिनकी उम्र लगभग 4-5 साल थी और वह 15.12.2014 पर उनके घर में मौजूद थी।दोपहर करीब डेढ़ बजे एक लड़का उनके घर आया।उन्होंने नलसाज का काम माँगा।उसने पीने के लिए पानी भी माँगा।उसकी बहन सुमन ने उसे पानी पिलाया।उसने पानी पिया।30 मिनट बाद, वह फिर से उनके घर आया।लड़के ने उसकी बहन को बताया कि वह रामपाल से मिलने आया है।उसकी बहन सुमन ने जवाब दिया कि वहाँ कोई रामपाल नहीं रह रहा था।लड़का एक बोतल पकड़े हुए था।उसने बोतल में मौजूद तेजाब को उसकी बहन सुमन पर फेंक दिया।रुचि भी वहाँ खड़ी थी।रुचि नामक व्यक्ति पर तेजाब भी छिड़का गया।इसके बाद उस लड़के ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और भाग गया।वह अपनी बहन सुमन और रुचि को एक ऑटो रिक्शा में कोलंबिया एशिया अस्पताल ले गई। उसकी बहन सुमन किसी फ्लैट में काम कर रही थी और राजा वहां सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहा था।राजा अपनी बहन सुमन को पूरा वेतन नहीं दे रहा था।उसने अभियुक्तों आजाद, राजा और आरिफ की पहचान की।

(15) PW.10 सुमन और PW.12 सुधा के बयानों की विधिवत पुष्टि PW.19 रुचि द्वारा की जाती है।अपना बयान दर्ज कराने के समय वह 10 साल की थीं।विद्वत विचारण न्यायालय ने बयान देने की उसकी क्षमता का आकलन करने के लिए उससे सवाल किए।उसने बयान दिया कि उसका बयान पुलिस द्वारा Ex.PJ/1 के माध्यम से दर्ज किया गया था।

(16) PW.13 पवन ने अपदस्थ किया कि उसे अपनी बहन सुधा से 15.12.2014 पर एक टेलीफोन कॉल आया कि किसी व्यक्ति ने तेजाब सुमन और रुचि पर फेंका था

(राजीव शर्मा, जे.)

।उसने उसे गुड़गांव के कोलंबिया एशिया अस्पताल आने के लिए कहा।वह अस्पताल पहुंचे।पुलिस ने उसकी बहन सुमन की तेजाब की बोतल और कपड़े को मेमो Ex.PQ के माध्यम से अपने कब्जे में ले लिया। अपनी जिरह में, उसने गवाही दी कि वह दोपहर 2 बजे कोलंबिया एशिया अस्पताल पहुंचा। पुलिस पहले से ही अस्पताल में थी।(17) PW.16 ए. एस. आई. मीनावंती ने बयान दिया कि 15.12.2014 पर, उन्हें पुलिस स्टेशन पालम विहार, गुड़गांव में ए. एस. आई. के रूप में तैनात किया गया था।वह सेक्टर 22 मार्केट के इलाके में मौजूद थी।उसे जानकारी मिली कि किसी ने घर नं० . 1 डी-86, धरम कॉलोनी, गुड़गांव में एक महिला और एक लड़की पर तेजाब फेंका है। वह उक्त घर पहुँच गई।उन्हें पता चला कि पीड़ितों को कोलंबिया एशिया अस्पताल, पालम विहार, गुड़गांव ले जाया गया है।इसके बाद, वह और सिपाही देवेंद्र उपरोक्त अस्पताल पहुंचे।उसने एक आवेदन, Ex.PR प्रस्तुत किया, जिस पर संबंधित डॉक्टर ने Ex.PM/2 के माध्यम से राय दी कि रोगी बयान देने के लिए उपयुक्त हैं।उसने सुमन का बयान दर्ज किया, वीडियो Ex.PO। वह घटना स्थल पर पहुंची।उसने रफ साइट प्लान Ex.PT तैयार किया। ज्वलनशील/एसिड पदार्थ वाली एक निप, Ex.P2, और जली हुई स्थिति में एक महिला शर्ट, Ex.P1, को कब्जे में ले लिया गया।इन्हें पार्सल में बदल दिया गया था।उसने पार्सल पर मुहर लगा दी।अभियुक्तों को 19.12.2014 पर गिरफ्तार किया गया था।आरोपी आजाद को भी जलने की चोटें आई थीं।उनकी चिकित्सकीय जांच कराई गई।उनका एम. एल. आर. Ex.PA है। पीड़ितों को आर. एम. एल. अस्पताल, दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया।उन्होंने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली के समक्ष Ex.PK और Ex.PK/1 आवेदन दायर किए, जिस पर विद्वान मजिस्ट्रेट ने Ex.PV, Ex.PV 1, Ex.PV 2 और Ex.PV/3 आदेश पारित किए।विद्वान मजिस्ट्रेट ने पीड़ित सुमन का बयान Ex.PK/2 के माध्यम से दर्ज किया।रुचि को पहले ही अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी थी।गुड़गांव के एरिया मजिस्ट्रेट ने भी Ex.PJ/1 के माध्यम से उसका बयान दर्ज किया।मामले की संपत्ति मलखाना को भेज दी गई थी।

(18) अभियोजन पक्ष का सटीक मामला यह है कि PW.10 सुमन उसके घर में मौजूद थी।अपीलार्थी आज़ाद उर्फ इस्माइल खुद को नलसाज बताते हुए उसके घर आया था।उन्हें पानी दिया गया।वह वापस चला गया और लगभग आधे घंटे के बाद वापस आ गया।उसने PW.10 सुमन के साथ-साथ PW.19 रुचि पर तेजाब फेंका।सुमन और रुचि को कोलंबिया एशिया अस्पताल ले जाया गया।इसके बाद उन्हें नई दिल्ली के आर. एम. एल. अस्पताल में रेफर कर दिया गया। सुमन को 24.12.2014 पर छुट्टी दे दी गई थी।इसके बाद, उन्हें त्वचा की ग्राफ्टिंग के लिए फिर से 24.02.2015 पर भर्ती कराया गया।रुचि को 19.12.2014 पर छुट्टी दे दी गई थी।पीड़ितों सुमन और रुचि के बयान धारा 164 Cr.P.C के तहत दर्ज किए गए थे। एफएसएल रिपोर्ट Ex.PX है। रिपोर्ट के अनुसार, प्रदर्शन-में सल्फ्यूरिक एसिड का पता चला था।

1 और 2.पीड़ितों के बयानों की चिकित्सा साक्ष्य द्वारा विधिवत पुष्टि की जाती है।

(19) पीडब्लू. 1 डॉ. योगेंद्र सिंह ने हलफनामे Ex.PW.1/A के माध्यम से अपने साक्ष्य का नेतृत्व किया। उन्होंने आजाद उर्फ इस्माइल के शरीर पर निम्नलिखित चोटों को देखाः-

1. नाक के बाईं ओर एक भूरे रंग का काला पपड़ी, ऊर्ध्वाधर दिशा में आकार 0.5 सेमी x 2 सेमी।

2. दाहिने हाथ की पृष्ठीय सतह पर कलाई के आकार 1 के पास कई क्षेत्रों के साथ एक भूरे रंग का काला पपड़ी। 1.3 x 2 सेमी 2.1 x 1 सेमी।हाथ की डोरसल सतह।

(20) पी. डब्ल्यू. 7 डॉ. संदीप ने एम. एल. आर. Ex.PM और Ex.PM/1 साबित किया।उन्होंने अपनी राय Ex.PM/2 दी कि पीड़ित सुमन बयान देने के लिए उपयुक्त है।अपने हलफनाम k Ex. PW7/A में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सुमन के चेहरे, गर्दन और वक्ष के बाईं ओर के साथ-साथ दोनों ऊपरी अंगों में जलन पाई गई थी।इसी तरह, हलफनामे Ex.PW.7/B के माध्यम से, उन्होंने कहा कि उन्होंने रुचि के बाएं ऊपरी अंग, पेट और माथे पर जलन देखी थी।उनके अनुसार, दोनों पीड़ित तेजाब से जलने के कथित इतिहास के साथ आए थे।पीडब्लू 8 डॉ. अंकित गुप्ता ने बयान दिया कि सुमन को नई दिल्ली के आरएमएल अस्पताल 15.12.2014 में रात करीब 8.26 बजे भर्ती कराया गया था। उसकी गर्दन, धड़ और दोनों ऊपरी अंगों पर 23 प्रतिशत गहरी जलन हुई थी।उन्हें 24.12.2014 पर छुट्टी दे दी गई और त्वचा के ग्राफ्टिंग के लिए 24.02.2015 पर फिर से भर्ती किया गया।रुचि को दोपहर लगभग 1:30 बजे 15.12.2014 पर भर्ती किया गया और 19.12.2014 पर छुट्टी दे दी गई।उसकी छाती, दोनों ऊपरी अंगों और जांघ पर 16 प्रतिशत जलन हुई थी।सुमन और रुचि के छुट्टी प्रमाण पत्र Ex.PN और Ex.PN 1 हैं।सुमन के अन्य डिस्चार्ज रिपोर्ट Ex.PN/2 और Ex.PN/3 हैं।

(21) PW.10 सुमन ने स्पष्ट रूप से अपदस्थ कर दिया कि आज़ाद उर्फ इस्माइल ने उस पर और साथ ही उसकी बेटी पर तेजाब फेंका था।उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।उसने अदालत में आरोपी की पहचान की।उनके बयान की विधिवत पुष्टि उनकी बहन सुधा, उनके भाई पवन और उनकी बेटी रुचि ने की है।उनके पास अभियुक्तों को झूठा फंसाने का कोई अवसर नहीं था।अभियुक्त राजा सुमन पर बुरी नज़र रख रहा था।खुलासा करने वाले बयान अभियुक्तों द्वारा दिए गए थे। पुनर्प्राप्ति प्रभावित हुई।एफएसएल रिपोर्ट Ex.PX के अनुसार, पीड़ित सुमन के कपड़े पर सल्फ्यूरिक एसिड पाया गया और बोतल मौके से बरामद की गई।ए. एस. आई. मीनावंती जाँच अधिकारी थीं।उसने सुमन की फिटनेस के बारे में डॉक्टर

से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद सुमन का बयान Ex.PO के माध्यम से दर्ज किया। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। सुमन और रुचि के बयान राजा बनाम हरियाणा राज्य के तहत दर्ज किए गए थे।

राजा बनाम हरियाणा राज्य

**957**

**(राजीव शर्मा, जे.)**

धारा 164 Cr.P.C.

(22) यह रिकॉर्ड में आया है कि आरोपी राजा ने सुमन पर तेजाब फेंकने के लिए आरोपी आजाद उर्फ इस्माइल को काम पर रखा था। उसने आजाद को पैसे दिए थे। आजाद ने डी. डब्ल्यू. 1 फैजान के बयान पर भरोसा करते हुए बहाना मांगा है। डी. डब्ल्यू. 1 फैजान ने अपदस्थ किया कि वह दिसंबर, 2014 के महीने में सफेद कपड़े धोने के ठेकेदार के रूप में काम कर रहा था। वह घर संख्या 242, सड़क संख्या 1, बेहरोड, जिला अलवर, राजस्थान में रह रहा था। 15.12.2014 पर, आजाद उर्फ इस्माइल मस्जिद वली गली, शाहजहांपुर, जिला अलवर, राजस्थान में सफेद धोने का काम कर रहा था। अपनी प्रतिपरीक्षा में, वह कोठी का घर का नंबर नहीं बता सका, जहाँ सफेद धुलाई चल रही थी। उनके पास सफेद कपड़े धोने के उद्देश्य से आजाद उर्फ इस्माइल को मजदूर के रूप में नियुक्त करने के संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं था। उनका बयान विश्वास को प्रेरित नहीं करता है। यह एक स्थापित कानून है कि एक बार बहाना की याचिका ली गई है लेकिन साबित नहीं हुई है, यह अभियोजन पक्ष के मामले को विश्वास दिलाता है कि आरोपी घटना के समय मौजूद था। बिनय कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य 1 में उच्चतम न्यायालय के उनके अधिष्ठाताओं ने अभिनिर्धारित किया है कि एक बार अभियोजन पक्ष बोझ का निर्वहन करने में सफल हो जाने के बाद, यह अभियुक्त पर बाध्यकारी है, जो बहाना की याचिका को अपनाता है, कि वह इसे पूर्ण निश्चितता के साथ साबित करे ताकि घटना के स्थान पर उसकी उपस्थिति की संभावना को खारिज किया जा सके। उनके अधिपत्य निम्नानुसार रहे हैं:-

"22. हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि बहाना कोई अपवाद नहीं है।

(विशेष या सामान्य) भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य कानून में परिकल्पित है। यह केवल साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 में मान्यता प्राप्त साक्ष्य का एक नियम है कि जो तथ्य मुद्दे में तथ्य के साथ असंगत हैं वे प्रासंगिक हैं। प्रावधान के तहत दिया गया चित्रण (ए) इस संदर्भ में पुनः प्रस्तुत करने योग्य है:

"सवाल यह है कि क्या ए ने किसी निश्चित तारीख को कलकत्ता में कोई अपराध किया था; यह तथ्य कि उस तारीख को ए लाहौर में था, प्रासंगिक है।

23. लैटिन शब्द अलिबी का अर्थ है "कहीं और" और उस शब्द का उपयोग सुविधा के लिए किया जाता है जब कोई आरोपी बचाव पक्ष का सहारा लेता है कि जब घटना हुई तो वह घटना स्थल से इतना दूर था कि यह बेहद असंभव है कि उसने अपराध

में भाग लिया होगा। यह एक बुनियादी कानून है कि एक आपराधिक मामले में, जिसमें आरोपी पर किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुँचाने का आरोप लगाया जाता है,



अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने का भार है कि आरोपी घटनास्थल पर मौजूद था और उसने अपराध में भाग लिया है। बोझ केवल इस तथ्य से कम नहीं होगा कि अभियुक्त ने बहाना का बचाव किया है। ऐसे मामलों में अभियुक्त की याचिका पर तभी विचार किया जाना चाहिए जब अभियोजन पक्ष द्वारा बोझ को संतोषजनक रूप से निर्वहन कर दिया गया हो। लेकिन एक बार जब अभियोजन पक्ष बोझ का निर्वहन करने में सफल हो जाता है, तो आरोपी पर यह दायित्व होता है कि वह इसे पूर्ण निश्चितता के साथ साबित करे ताकि घटना के स्थान पर उसकी उपस्थिति की संभावना को खारिज किया जा सके। जब घटना स्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से अभियोजन पक्ष द्वारा संतोषजनक रूप से स्थापित की जाती है, तो आम तौर पर अदालत इस आशय के किसी भी प्रति-साक्ष्य पर विश्वास करने में धीमी होगी कि जब घटना हुई थी तो वह कहीं और था। लेकिन यदि अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य इस तरह की गुणवत्ता और इस तरह के मानक का है कि अदालत घटना के समय घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति के बारे में कुछ उचित संदेह महसूस कर सकती है, तो अभियुक्त, निस्संदेह, उस उचित संदेह के लाभ का हकदार होगा। उस उद्देश्य के लिए, यह निर्धारित किया जाना एक अच्छा प्रस्ताव होगा कि ऐसी परिस्थितियों में, अभियुक्त पर बोझ काफी भारी है। इसलिए, यह इस प्रकार है कि बहाना की दलील को स्थापित करने के लिए सख्त सबूत की आवश्यकता है। इस न्यायालय ने पहले के अवसरों पर ऐसा अवलोकन किया है (दूध नाथ पांडे बनाम यू. पी. राज्य (1981) 2 एस. सी. सी. 166; महाराष्ट्र राज्य बनाम नरसिंहराव गंगाराम पिंपल्ल ए. आई. आर. 1984 एस. सी.63)."

(23) तदनुसार, अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थियों के खिलाफ अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है। तत्काल अपीलों में कोई योग्यता नहीं है और उन्हें खारिज कर दिया जाता है।

(24) हालाँकि, निर्णय से अलग होने से पहले, हम यह देखना चाहेंगे कि तेजाब हमलों का बढ़ता खतरा पीड़ितों के बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। पीड़ितों को गरिमा और सम्मान के साथ अपना जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को अन्य साथी नागरिकों द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीने का अधिकार है।

(25) लक्ष्मी बनाम भारत संघ और अन्य 2 में सर्वोच्च न्यायालय के उनके अधिष्ठाताओं ने 2 (2014) 4 एस. सी. सी. 427 के समान मुआवजे का फैसला किया है।

(राजीव शर्मा, जे.)

तेजाब हमले के पीड़ितों को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 3 लाख रुपये का भुगतान किया जाना चाहिए। 15 दिनों के भीतर तुरंत 1 लाख रुपये का भुगतान किया जाना चाहिए। शेष 2 लाख रुपये का भुगतान 2 महीने के भीतर जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। अधिकारियों को उक्त निर्देशों का व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया गया था। उनके अधिपत्य निम्नानुसार रहे हैं:-

"12. धारा 357-ए को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में 2009 के अधिनियम 5 द्वारा 31-12-2009 से जोड़ा गया। अन्य बातों के साथ-साथ, यह धारा पीड़ित या उसके आश्रितों, जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप नुकसान या चोट लगी है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, को मुआवजे के उद्देश्य से धन प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार करने का प्रावधान करती है। 13. हमें सूचित किया जाता है कि इस प्रावधान के अनुसार, 17 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों ने "पीड़ित" तैयार किया है।

क्षतिपूर्ति योजना "(संक्षेप में" योजना ")।

तेजाब हमलों के पीड़ितों के संबंध में, इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाई गई योजना में उल्लिखित मुआवजा समान नहीं है। बिहार राज्य ने ऐसी योजना में 25,000 रुपये के मुआवजे का प्रावधान किया है, जबकि राजस्थान राज्य ने 2 लाख रुपये के मुआवजे का प्रावधान किया है। हमारे विचार में, अधिकांश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा योजना में प्रदान किया गया मुआवजा अपर्याप्त है। यह अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि तेजाब हमले के पीड़ितों को प्लास्टिक सर्जरी और अन्य सुधारात्मक उपचारों की एक श्रृंखला से गुजरना पड़ता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने हमें सुझाव दिया कि एसिड हमले के पीड़ितों के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मुआवजे को बाद की देखभाल और पुनर्वास लागत के रूप में कम से कम 3 लाख रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए। विद्वान महान्यायवादी का सुझाव बहुत उचित है।

14. हम, तदनुसार, निर्देश देते हैं कि तेजाब हमले के पीड़ितों को संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा देखभाल और पुनर्वास लागत के रूप में कम से कम 3 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इस राशि में से 1 लाख रुपये की राशि ऐसी घटना होने के 15 दिनों के भीतर (या राज्य सरकार/केंद्र के संज्ञान में राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश के संज्ञान में लाई जाएगी) पीड़ित को दी जाएगी ताकि इस संबंध में तत्काल चिकित्सा सहायता और खर्च की सुविधा प्रदान की जा सके। शेष राशि 2 लाख रुपये का भुगतान जितनी जल्दी हो सके और उसके बाद दो महीने के भीतर सकारात्मक रूप से किया जाएगा। द चीफ

राज्यों के सचिव और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक उपरोक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। 15. राज्यों के मुख्य सचिव और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक इस आदेश का स्थानीय भाषा में अनुवाद कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे और इसे बड़े पैमाने पर जनता की जानकारी के लिए उचित रूप से प्रचारित करेंगे। इस मामले को 3-12-2013 पर सूचीबद्ध करें।"

(26) ओम प्रकाश में सर्वोच्च न्यायालय के उनके अधिपत्य

चौटाला बनाम कंवर भान और अन्य 3 ने यह अधिकार रखा है

प्रतिष्ठा अनुच्छेद 21 का एक अविभाज्य पहलू है। उनके अधिपत्य निम्नानुसार रहे हैं:-

"1. छुट्टी दे दी गई। प्रतिष्ठा मूल रूप से गुणों का एक शानदार मिश्रण और एकीकरण है जो एक व्यक्ति को अपने वंश पर गर्व महसूस कराता है और उसे संतुष्ट करता है कि वह इसे भावी पीढ़ियों पर विरासत के एक हिस्से के रूप में वसीयत करे। यह अपने आप में एक कुलीनता है जिसके लिए एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति कभी भी चीन की पूरी चाय या समुद्र के सभी मोतियों के साथ इसका आदान-प्रदान नहीं करेगा। उक्त गुण में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों गुण होते हैं। जब प्रतिष्ठा को चोट पहुँचती है, तो एक आदमी आधा मर जाता है। यह एक ऐसा सम्मान है जिसे दलितों और विशेषाधिकार प्राप्त लोगों द्वारा समान रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए। प्रतिष्ठा की सुगंध एक उत्कृष्टता है जिसे समय के साथ दूषित नहीं होने दिया जा सकता है। कुलीनता की स्मृति को कोई भी खोना नहीं चाहेगा; कोई भी इसे क्षीण होने की कल्पना नहीं करेगा। यह जीवन के लिए प्रिय है और कुछ अवसरों पर यह जीवन से भी अधिक प्रिय है। और यही कारण है कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अविभाज्य पहलू बन गया है। कोई नहीं चाहेगा कि उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे। कोई भी इसे लोकप्रियता के बजाय सम्मान के रूप में देखना चाहेगा। जब कोई अदालत किसी ऐसे मामले से निपटती है जिससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा प्रभावित होने की संभावना होती है, तो कानून के मानक सिद्धांतों का सावधानीपूर्वक और सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए। विज्ञापन भावना के बिना और लोकलुभावन धारणा के बिना होना चाहिए, और कुछ भी प्रतिकूल होने से पहले ऑडी अल्टरम पार्टेम के सिद्धांत के अनुरूप होना चाहिए।

कहा जाता है।"

(27) जीवन के प्रति हमारी गहरी संवेदनशीलता होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के निजी और पारिवारिक जीवन का सम्मान होना चाहिए।

3 (2014) 5 एस. सी. सी. 417

राजा बनाम हरियाणा राज्य

(राजीव शर्मा, जे.)

(28) परिवर्तन में सर्वोच्च न्यायालय के उनके अधिपत्य

केंद्र बनाम भारत संघ और अन्य 4 ने माना है कि

तेजाब हमले के पीड़ितों को मुआवजा न केवल बल्कि

शारीरिक चोट की शर्तें में दिया जाना चाहिए, लेकिन पीड़ित की पूर्ण जीवन जीने में असमर्थता पर ध्यान दें और उन सुविधाओं का आनंद लेने के लिए जो तेजाब हमले के परिणामस्वरूप उससे लूटी जा रही हैं, उन्हें भी लिया जाना चाहिए। तेजाब पीड़ितों के उपचार और पुनर्वास की पूरी जिम्मेदारी राज्य अपने ऊपर लेगा।

(2014) 4 एस. सी. सी. 427 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार हमला। में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उनके अधिपत्य

इस मामले में 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है। उनके अधिपत्य निम्नानुसार रहे हैं:-

"9. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में, जहां तेजाब और अन्य संक्षारक पदार्थों की बिक्री को विनियमित करने के नियम लागू नहीं हैं, जब तक कि ऐसे नियम तैयार नहीं किए जाते हैं और उन्हें लागू नहीं किया जाता है, तब तक संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे:

9.1 काउंटर पर तेजाब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है जब तक कि विक्रेता तेजाब की बिक्री को रिकॉर्ड करने वाला लॉग/रजिस्टर नहीं रखता है जिसमें उस व्यक्ति (व्यक्तियों) का विवरण होगा जिसे तेजाब बेचा जाता है/बेचा जाता है और कितनी मात्रा में बेचा जाता है। लॉग/रजिस्टर में उस व्यक्ति का पता होगा जिसे इसे बेचा जाता है।

9.2 खरीदार के द्वारा जाने के बाद ही सभी विक्रेता तेजाब बेचेंगे।

दिखाया गया:

(क) सरकार द्वारा जारी एक फोटो पहचान पत्र जिसके पास भी है

व्यक्ति का पता;

(ख) अम्ल की प्राप्ति का कारण/उद्देश्य निर्दिष्ट करता है।

9.3 तेजाब के सभी भंडार विक्रेता द्वारा 15 दिनों के भीतर संबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एस. डी. एम.) के पास घोषित किए जाने चाहिए।

9.4 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को तेजाब नहीं बेचा जाएगा।

आयु के वर्ष।

9.5 तेजाब के अघोषित भंडार के मामले में, संबंधित एस. डी. एम. के लिए स्टॉक को जब्त करने का अधिकार होगा और उपयुक्त रूप से

962



ऐसे विक्रेता पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाएं। 9.6 संबंधित एस. डी. एम. उपरोक्त किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है।

10. शैक्षणिक संस्थान, अनुसंधान प्रयोगशालाएं, अस्पताल, सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विभाग, जिन्हें एसिड रखने और संग्रहीत करने की आवश्यकता होती है, वे निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करेंगेः

10.1.तेजाब के उपयोग का एक रजिस्टर रखा जाएगा और इसे संबंधित एस. डी. एम. के पास दाखिल किया जाएगा।

10.2.एक व्यक्ति को अपने परिसर में तेजाब रखने और सुरक्षित रखने के लिए जवाबदेह बनाया जाएगा।

10.3.एसिड को इस व्यक्ति की देखरेख में संग्रहीत किया जाएगा और प्रयोगशालाओं/भंडारण के स्थान से निकलने वाले छात्रों/कर्मियों की अनिवार्य जांच होगी जहां एसिड का उपयोग किया जाता है।

11. संबंधित एस. डी. एम. को उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन/चूक/उल्लंघन के लिए उचित कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

12. धारा 357-ए को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में 31.12.2009 के अधिनियम 5 द्वारा अंतःस्थापित किया गया।अन्य बातों के साथ-साथ, यह धारा पीड़ित या उसके आश्रितों, जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप नुकसान या चोट लगी है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, को मुआवजे के उद्देश्य से धन प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार करने का प्रावधान करती है।13. हमें सूचित किया जाता है कि इस प्रावधान के अनुसार, 17

राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों ने 'पीड़ित मुआवजा योजना' (संक्षेप में 'योजना') तैयार की है।संबंध में

तेजाब हमलों के पीड़ितों के लिए, इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाई गई योजना में उल्लिखित मुआवजा समान

नहीं है। बिहार राज्य ने ऐसी योजना में 25,000 रुपये के मुआवजे का प्रावधान किया है, जबकि राजस्थान राज्य ने 2 लाख रुपये के मुआवजे का प्रावधान किया है। हमारे विचार में, अधिकांश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा योजना में प्रदान किया गया मुआवजा अपर्याप्त है। यह अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि तेजाब हमले के पीड़ितों को प्लास्टिक सर्जरी और अन्य सुधारात्मक उपचारों की एक श्रृंखला से गुजरना पड़ता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, विद्वान सॉलिसिटर जनरल

राजा बनाम हरियाणा राज्य

963

(राजीव शर्मा, जे.)

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तेजाब हमले के पीड़ितों के लिए मुआवजे को देखभाल और पुनर्वास लागत के रूप में कम से कम 3 लाख रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए। विद्वान महान्यायवादी का सुझाव बहुत उचित है। 14. हम, तदनुसार, निर्देश देते हैं कि तेजाब हमले के पीड़ितों को संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा देखभाल और पुनर्वास लागत के रूप में कम से कम 3 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इस राशि में से 1 लाख रुपये की राशि ऐसी घटना (या राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश के संज्ञान में लाए जाने) की घटना के 15 दिनों के भीतर ऐसी पीड़ित को दी जाएगी ताकि इस संबंध में तत्काल चिकित्सा देखभाल और खर्च की सुविधा प्रदान की जा सके। 2 लाख रुपये की शेष राशि का भुगतान जितनी जल्दी हो सके और उसके बाद दो महीने के भीतर सकारात्मक रूप से किया जाएगा। राज्यों के मुख्य सचिव और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक उपरोक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।"

10. दिनांकित 31.12.2013 पर, जब लक्ष्मी मामले में हरियाणा राज्य का हलफनामा पीठ के समक्ष रखा गया था, जिसमें कहा गया था कि हरियाणा सरकार पूर्ण चिकित्सा उपचार, अल्पकालिक के साथ-साथ दीर्घकालिक, विशेष प्लास्टिक सर्जरी, सुधारात्मक सर्जरी, तेजाब हमले के पीड़ितों को तेजाब हमले के भय और आघात से बाहर आने में मदद करने के लिए विशेष मनोवैज्ञानिक उपचार प्रदान करने और उनके पुनर्वास के लिए एक योजना तैयार करने की प्रक्रिया में है, तो इस अदालत ने राज्यों के मुख्य सचिवों (हरियाणा के अलावा) और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दायर करें और इस अदालत को सूचित करें कि

एसिड के उपचार की लागत 100% वहन करने में राज्य का दृष्टिकोण

हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप और तेजाब हमले के पीड़ितों के लिए प्लास्टिक सर्जरी, सुधारात्मक सर्जरी और मनोवैज्ञानिक के साथ-साथ अन्य उपचार की सुविधा वाले विशेष अस्पतालों में चिकित्सा उपचार के लिए हरियाणा सरकार की तर्ज पर योजना तैयार करने के संबंध में। इस न्यायालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस थानों को आवश्यक निर्देश जारी करें कि

जब भी तेजाब हमले के संबंध में पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की जाए, तो पुलिस थाना



संबंधित इस तरह की जानकारी की प्राप्ति के बारे में क्षेत्राधिकार वाले एस. डी. एम. को एक संचार भेजेगा।ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर, क्षेत्राधिकार वाला एस. डी. एम. गलत काम करने वाले द्वारा तेजाब की खरीद की जांच करेगा और मामले में उचित कार्रवाई करेगा। 11. लक्ष्मी बनाम भारत संघ 3 में रिट याचिका का निपटारा करते हुए,

इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः "10. हम गुजर चुके हैं

गृह मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे के साथ संलग्न चार्ट और हम पाते हैं कि इस न्यायालय द्वारा लक्ष्मी बनाम भारत संघ 1 में दिए गए निर्देशों के बावजूद, कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में तेजाब हमले के पीड़ितों के लिए न्यूनतम मुआवजा 3,00,000 (केवल तीन लाख रुपये) तय नहीं किया गया है।हमारी राय में, यह उचित होगा कि राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव राज्य सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाए ताकि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जा सके और तेजाब हमले के प्रत्येक पीड़ित को न्यूनतम 3,00,000 (केवल तीन लाख रुपये) उपलब्ध कराया जा सके।

11. ऊपर दिए गए आंकड़ों से हम पाते हैं कि जहां तक राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों का संबंध है, यह राशि बोझ नहीं होगी और इसलिए, हमें कोई कारण नहीं दिखता है कि इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों को राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उनमें कोई गंभीर वित्तीय निहितार्थ शामिल नहीं है।

* * *

13. जहाँ तक तेजाब हमले के पीड़ितों के उचित उपचार, बाद की देखभाल और पुनर्वास का संबंध है, 14-3-2015 पर बुलाई गई बैठक में सर्वसम्मति से कहा गया है कि तेजाब हमले के पीड़ितों को पूर्ण चिकित्सा सहायता प्रदान की जानी चाहिए और निजी अस्पतालों को भी ऐसे पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करना चाहिए।यह ध्यान दिया जाता है कि कुछ निजी अस्पतालों की ओर से मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए शायद कुछ अनिच्छा हो सकती है और इसलिए, राज्य सरकारों में संबंधित अधिकारियों को इस मामले को निजी अस्पतालों के साथ उठाना चाहिए ताकि उन्हें तेजाब हमले के पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने की भी आवश्यकता हो।

14. बैठक में लिए गए निर्णय इस प्रकार हैंः

अनुपालन के लिए निजी अस्पतालों को भी शामिल किया जाएगा और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश इस संबंध में आवश्यक साधनों का उपयोग करेंगे।

किसी भी अस्पताल/क्लिनिक को विशेष सुविधाओं की कमी का हवाला देते हुए इलाज से इनकार नहीं करना चाहिए।

पीड़ित को प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए और स्थिरीकरण के बाद, पीड़ित/रोगी को जहां भी आवश्यकता हो, आगे के उपचार के लिए एक विशेष सुविधा में स्थानांतरित किया जा सकता है।दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357-सी के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए तेजाब हमलों और अन्य अपराधों के पीड़ितों का इलाज करने से इनकार करने के लिए अस्पताल/क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

17. इसलिए, हम एक निर्देश जारी करते हैं कि राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी निजी अस्पतालों के साथ गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए और इस मामले को इस प्रभाव से उठाना चाहिए कि निजी अस्पतालों को तेजाब हमले के पीड़ितों को इलाज से इनकार नहीं करना चाहिए और ऐसे पीड़ितों को दवा, भोजन, बिस्तर और पुनर्निर्माण सर्जरी सहित पूरा इलाज प्रदान किया जाना चाहिए।

18. हम यह भी निर्देश जारी करते हैं कि जिस अस्पताल में तेजाब हमले के पीड़ित का पहले इलाज किया जाता है, उसे यह प्रमाण पत्र देना चाहिए कि वह व्यक्ति तेजाब हमले का शिकार है।इस प्रमाण पत्र का उपयोग पीड़ित द्वारा उपचार और पुनर्निर्माण शल्य चिकित्सा या किसी अन्य योजना के लिए किया जा सकता है जिसका पीड़ित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के साथ हकदार हो सकता है।

19. किसी भी निजी अस्पताल या सरकारी अस्पताल के खिलाफ किसी भी विशिष्ट शिकायत की स्थिति में, तेजाब हमले का शिकार व्यक्ति निश्चित रूप से आगे की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।20. काउंटर पर तेजाब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में, हम गृह मंत्रालय के सचिव और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव को निर्देश देते हैं कि वे इस मामले को राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उठाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आज से तीन महीने की अवधि के भीतर इस संबंध में एक उचित अधिसूचना जारी की जाए।ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही ऐसी अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन 966 में



हमारी राय है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जल्द से जल्द ऐसी अधिसूचना जारी करनी चाहिए।

21. अंतिम मुद्दा आपराधिक चोट क्षतिपूर्ति बोर्ड की स्थापना के संबंध में है। दिनांकित 14-03.2015 पर आयोजित बैठक में सर्वसम्मत विचार यह था कि चूंकि जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण पहले से ही प्रत्येक जिले में गठित है और तेजाब हमले के पीड़ितों से संबंधित उचित सहायता प्रदान करने में शामिल है, इसलिए शायद एक अलग आपराधिक चोट मुआवजा बोर्ड स्थापित करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। दूसरे शब्दों में, प्राधिकरणों की एक बहुलता बनाने की आवश्यकता नहीं है।

22. हमारी राय में, यह दृष्टिकोण काफी उचित है। इसलिए, किसी भी तेजाब हमले के पीड़ित द्वारा किए गए मुआवजे के दावे के मामले में, मामला जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा उठाया जाएगा, जिसमें जिला न्यायाधीश और ऐसे अन्य सह-चयनित व्यक्ति शामिल होंगे, जिन्हें जिला न्यायाधीश महसूस करते हैं कि वे सहायक होंगे, विशेष रूप से जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और सिविल सर्जन या उस जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उनके नामित व्यक्ति। यह निकाय सभी मामलों के लिए आपराधिक चोट क्षतिपूर्ति बोर्ड के रूप में कार्य करेगा।"

12. लक्ष्मी मामले में इस न्यायालय द्वारा दिया गया उपरोक्त निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक सामान्य आदेश है और यह न्यूनतम राशि है जो राज्य तेजाब हमले के प्रत्येक पीड़ित को उपलब्ध कराएगा। संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस न्यायालय के निर्देशानुसार रुपये 3,00,000 से भी अधिक मुआवजे की राशि दे सकते हैं। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि लक्ष्मी मामले में इस न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश कहीं भी न्यायालय को तेजाब हमले की पीड़ित को अधिक मुआवजा देने से प्रतिबंधित नहीं करता है, विशेष रूप से जब पीड़ित को उसके शरीर पर गंभीर चोटें लगी हों, जिस पर इस न्यायालय द्वारा विचार करने की आवश्यकता है। विचित्र तथ्यों में, यह न्यायालय पीड़ित को रुपये 3,00,000 से भी अधिक मुआवजा दे सकता है।

13. हम देश भर में तेजाब हमलों के कई उदाहरण देख चुके हैं। ये हमले इस साधारण कारण से बड़े पैमाने पर हुए हैं कि एसिड की आपूर्ति और वितरण के लिए नियमों का उचित कार्यान्वयन या नियंत्रण नहीं किया गया है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां तेजाब हमले के पीड़ितों को उनकी कठिनाई के कारण घर पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता है-राजा बनाम हरियाणा राज्य



(राजीव शर्मा, जे.)

काम करने के लिए। इन उदाहरणों से पता चलता है कि राज्य इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा कई निर्देश देने के बाद भी गलत हाथों में जाने वाले तेजाब के वितरण को रोकने में विफल रहा है। इसके बाद, बिना उचित प्राधिकरण के तेजाब की आपूर्ति करने वाले गलत व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और तेजाब के वितरण पर रोक रखने में विफलता के लिए संबंधित अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया जाए।

14. जब हम पीड़ितों के तत्काल मामले पर विचार करते हैं, तो पीड़ित को देखना ही हमारे लिए दर्दनाक होता है। अगर हम

उस पर अमानवीय तेजाब हमले से पीड़ित को हुई चोटों को केवल देखने से सदमे में आ सकते हैं, तो पीड़ित की स्थिति क्या होगी, शायद, हम न्याय नहीं कर सकते।फिर भी हम उसके आघात के तथ्य से अनजान नहीं हो सकते।

15. मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि कथित क्रूर हमले के कारण बड़ी बहन के शरीर पर 28 प्रतिशत और चेहरे पर 90 प्रतिशत जलन हुई थी।तेजाब के हमले के कारण, पीड़ित की कई सर्जरी हुई थी, और उसके इलाज के लिए उसे कई और सुधारात्मक और उपचारात्मक सर्जरी से गुजरना पड़ा।

16. मान लीजिए, पी. एम. सी. एच. द्वारा तीन त्वचा ग्राफ्टिंग सर्जरी की गईं, लेकिन वे सभी गलत तरीके से की गईं, जैसा कि सफदरजंग अस्पताल में बताया गया है।पीड़ित को याचिकाकर्ता द्वारा दिल्ली लाया गया था और दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में गर्दन, होंठ, आंखें, नाक, हाथ, माथे और कान के लिए त्वचा की कुछ ग्राफ्टिंग सर्जरी फिर से की गई थी। फोर्टिस अस्पताल में त्वचा की ग्राफ्टिंग सर्जरी भी की गई। गर्दन, होंठ, नाक, आँख और भुजा।पीड़ित की राय में

इसके अलावा, उसे अपने शेष जीवन के लिए कई सुधारात्मक और उपचारात्मक ऑपरेशन और चिकित्सा सहायता से गुजरना होगा।पीड़ित को गर्दन, होंठ, आंखें, नाक, हाथ, माथे, कान, स्तन और कोहनी के लिए सुधारात्मक और उपचारात्मक सर्जरी की आवश्यकता होगी।उपरोक्त चिकित्सा स्थितियों/उपचार के अलावा, जिनसे उसे गुजरना पड़ता है, कई अन्य परिणाम भी होते हैं, जो एक तेजाब हमला पीड़ित के जीवन में सामने लाता है।

17. पीड़ित की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए हम संक्षेप में कह सकते हैं कि:(i) पीड़ित को नौकरी मिलने की संभावना बहुत कम होती है जिसमें शारीरिक श्रम शामिल होता है।



((ii) समाज द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने के कारण उसे जिस सामाजिक कलंक और पीड़ा से गुजरना पड़ता है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है।इसके अलावा, घृणा की सामान्य प्रतिक्रिया जिसका उसे सामना करना पड़ेगा और जिस अपमान का उसे जीवन भर सामना करना पड़ेगा, उसकी भरपाई पैसे के मामले में नहीं की जा सकती है।

(iii) शारीरिक चोट के परिणामस्वरूप, पीड़ित सामान्य जीवन नहीं जी पाएगा और शादी की संभावनाओं का सपना नहीं देख पाएगा।

(iv) चूंकि एसिड अटैक के कारण उसकी त्वचा नाजुक हो जाती है, इसलिए उसे जीवन भर इसकी देखभाल करनी होगी।

इसलिए, बाद की देखभाल और पुनर्वास लागत जो उसे वहन करनी पड़ती है, उसका उसके और उसके परिवार पर भारी वित्तीय प्रभाव पड़ेगा।

18. विभिन्न दलीलों और साक्ष्यों के 06.02.2013 अवलोकन पर, हम यह उल्लेख करना अनिवार्य पाते हैं कि इस न्यायालय ने दिनांक 06.02.2013 द्वारा भारत संघ और राज्यों को एक अलग निधि के निर्माण द्वारा तेजाब हमले के पीड़ितों को देय मुआवजे को लागू करने का निर्देश देने के बाद भी, केवल 17 राज्यों को पीड़ित मुआवजा योजनाओं (वी. सी. एस.) के बारे में अधिसूचित किया गया है।जिनमें से 7 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों ने वी. सी. एस. शुरू नहीं किया है। यहां तक कि उन राज्यों में भी जहां योजना लागू की गई है, चिकित्सा देखभाल के लिए 25,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक का मामूली मुआवजा प्रदान किया जाता है।और कई राज्यों ने पुनर्वास के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया है। वर्तमान मामले में बिहार सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों के लिए 25,000 रुपये की दयनीय राशि तय की है।

19. लक्ष्मी मामले 1,2,3 में आदेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देश उचित हैं, सिवाय मुआवजे की राशि के संबंध मे । हमें केवल यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इन दिशानिर्देशों को ठीक से लागू किया जाए।अम्ल के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए

पीड़ित के सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत जीवन पर हमला,

हमें मुआवजे की राशि बढ़ाने की आवश्यकता है।हम इस तथ्य से अनजान नहीं हो सकते कि एसिड अटैक के शिकार व्यक्ति को क्षतिग्रस्त त्वचा के लिए स्थायी उपचार की आवश्यकता होती है।केवल 3 लाख रुपये की राशि से ऐसे पीड़ित को कोई मदद नहीं मिलेगी।हम इस तथ्य से अवगत हैं कि मुआवजे की राशि में वृद्धि राज्य पर एक अतिरिक्त बोझ होगी।लेकिन इस तरह के अपराध की रोकथाम राजा बनाम हरियाणा राज्य की जिम्मेदारी है।

969

(राजीव शर्मा, जे.)

राज्य और बढ़े हुए मुआवजे का भुगतान करने का दायित्व राज्य का होगा।मुआवजे में वृद्धि दो तरीकों से होगीः

((i) यह पीड़ित के पुनर्वास में मदद करेगा।

(ii) यह राज्य को दिशा-निर्देशों को ठीक से लागू करने के लिए भी प्रेरित करेगा क्योंकि राज्य अपनी सही भावना से इसका पालन करने का प्रयास करेगा ताकि भविष्य में तेजाब हमले के अपराध को रोका जा सके।

20. पीड़ितों के सामने आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय लक्ष्मी बनाम भारत संघ 1 में दिनांक 18-7-2013 के एक आदेश द्वारा -

मुआवजे में वृद्धि करते हुए कहा कि, "कम से कम 3 लाख रुपये देने चाहिए ।

तेजाब हमलों के पीड़ितों को 3 लाख रुपये का भुगतान किया जाना चाहिए

सरकार चिंतित है "।

इसलिए तेजाब हमले के प्रत्येक पीड़ित को सरकार द्वारा न्यूनतम 3 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाना है। वर्तमान मामले में बहनों को कम से कम 6 लाख रुपये की राशि दी जानी है।

21. मामले के विशिष्ट तथ्यों में, हमारा विचार है कि पीड़ित चंचल को लक्ष्मी मामले में इस अदालत द्वारा निर्धारित मुआवजे से अधिक मुआवजा दिया जाना चाहिए।हालाँकि इस मामले में हम लक्ष्मी केस 1 में जारी दिशा-निर्देशों से अलग कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि तेजाब हमले में छोटी बहन भी घायल हो गई थी।हालाँकि उसकी पीड़ा का स्तर बड़े की तरह नहीं है, लेकिन उसे उपचार और पुनर्वास की भी आवश्यकता है।यह ध्यान देने योग्य है कि लक्ष्मी मामले में यह न्यायालय सरकार को 3 लाख रुपये तक सीमित मुआवजा देने के लिए कोई रोक नहीं लगाता है।राज्य के पास लक्ष्मी मामले के दिशानिर्देशों के अनुसार तेजाब हमले के मामले में पीड़ित को अधिक मुआवजा प्रदान करने का विवेकाधिकार है।यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय ने लक्ष्मी मामले में कोई शर्त नहीं रखी है कि पीड़ित को कितनी चोटें लगी हैं।

एसिड अटैक के कारण।तत्काल मामले में, पीड़ित के पिता ने

पीड़ित के इलाज पर पहले ही 5 लाख रुपये से अधिक खर्च हो चुके हैं।पीड़ित की चोट की गंभीरता, ग्राफ्टिंग और पुनर्निर्माण सर्जरी, शारीरिक और मानसिक दर्द आदि के संबंध में खर्च को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि पीड़ित (चंचल) को कम से कम 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए।यह कहने के लिए पर्याप्त है कि मुआवजा न केवल शारीरिक चोट के संदर्भ में दिया जाना चाहिए, बल्कि ।



पीड़ित की पूर्ण जीवन जीने हमें पर भी ध्यान देना होगा और उनका आनंद लेने में असमर्थता

ऐसी सुविधाएँ जो तेजाब हमले के परिणामस्वरूप उससे लूटी जा रही हैं।इसलिए, यह न्यायालय 10 लाख रुपये का मुआवजा देना उचित समझता है और तदनुसार, हम संबंधित सरकार को पीड़ित चंचल को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश देते हैं, और लक्ष्मी मामले में दिए गए फैसले के आलोक में हम राज्य सरकार को निर्देश देते हैं कि

बिहार कॉन्सर्न ने मुख्य पीड़ित की बहन को मुआवजा देने के लिए, सोनम को 3 लाख रुपये देने के लिए चिंतित है।

13 लाख रुपये की कुल राशि में से 5 लाख रुपये की राशि पीड़ित और उसके परिवार को एक महीने की अवधि के भीतर दी जाएगी और शेष 8 लाख रुपये की राशि इस आदेश की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर पीड़ितों को दी जाएगी। इसके अलावा, राज्य लक्ष्मी मामले में दिए गए दिनांक 10-4- 2015 दिशा-निर्देशों के अनुसार तेजाब हमले के पीड़ितों के उपचार और पुनर्वास की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगा।

."

(29) लक्ष्मी बनाम भारत संघ और अन्य 5 और अन्य समान मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के उनके अधिपति ने तेजाब और अन्य संक्षारक पदार्थों की बिक्री को विनियमित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। उनके नेतृत्व ने तेजाब हमले के पीड़ितों के लिए एक आपराधिक चोट मुआवजा बोर्ड की स्थापना पर भी प्रकाश डाला है। उनके अधिपत्य निम्नानुसार रहे हैं:-

"33. जहाँ तक उचित उपचार की बात है, देखभाल के बाद और

तेजाब हमले के पीड़ितों के पुनर्वास का संबंध है, 14-3-2015 पर बुलाई गई बैठक में सर्वसम्मति से कहा गया है कि तेजाब हमले के पीड़ितों को पूर्ण चिकित्सा सहायता प्रदान की जानी चाहिए और निजी अस्पतालों को भी ऐसे पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करना चाहिए। यह ध्यान दिया जाता है कि कुछ निजी अस्पतालों की ओर से मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए शायद कुछ अनिच्छा हो सकती है और इसलिए, राज्य सरकारों में संबंधित अधिकारियों को इस मामले को निजी अस्पतालों के साथ उठाना चाहिए ताकि उन्हें तेजाब हमले के पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने की भी आवश्यकता हो।

34. बैठक में लिए गए निर्णय इस प्रकार हैं:34.1.राज्य/केंद्र शासित प्रदेश इस पर गंभीरता से ध्यान देंगे



(राजीव शर्मा, जे.)

तेजाब हमले के पीड़ितों के उपचार और मुआवजे के भुगतान के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और आवश्यक आदेश/अधिसूचना जारी करके इन निर्देशों को लागू करने के लिए।

34.2.अनुपालन के लिए निजी अस्पतालों को भी शामिल किया जाएगा और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश इस संबंध में आवश्यक साधनों का उपयोग करेंगे।

34.3.किसी भी अस्पताल/क्लिनिक को विशेष सुविधाओं की कमी का हवाला देते हुए इलाज से इनकार नहीं करना चाहिए।

34.4.पीड़ित को प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए और स्थिरीकरण के बाद, पीड़ित/रोगी को जहां भी आवश्यकता हो, आगे के उपचार के लिए एक विशेष सुविधा में स्थानांतरित किया जा सकता है।34.5.दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357-सी के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए तेजाब हमलों और अन्य अपराधों के पीड़ितों का इलाज करने से इनकार करने के लिए अस्पताल/क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

34.6.हम उम्मीद करते हैं कि अधिकारी इन फैसलों का पालन करेंगे।

35. हालाँकि 14-03-2015 पर आयोजित बैठक में यह स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन मुफ्त चिकित्सा उपचार से हम जो समझते हैं वह न केवल तेजाब हमले के पीड़ित को शारीरिक उपचार का प्रावधान है, बल्कि संबंधित अस्पताल में दवाओं, बिस्तर और भोजन की उपलब्धता भी है।

36. इसलिए, हम एक निर्देश जारी करते हैं कि राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी निजी अस्पतालों के साथ गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए और इस मामले को इस प्रभाव से उठाना चाहिए कि निजी अस्पतालों को तेजाब हमले के पीड़ितों को इलाज से इनकार नहीं करना चाहिए और ऐसे पीड़ितों को दवा, भोजन, बिस्तर और पुनर्निर्माण सर्जरी सहित पूरा इलाज प्रदान किया जाना चाहिए।

37. हम यह भी निर्देश जारी करते हैं कि जिस अस्पताल में तेजाब हमले के पीड़ित का पहले इलाज किया जाता है, उसे यह प्रमाण पत्र देना चाहिए कि वह व्यक्ति तेजाब हमले का शिकार है।इस प्रमाण पत्र का उपयोग पीड़ित द्वारा उपचार और पुनर्निर्माण सर्जरी या किसी अन्य योजना के लिए किया जा सकता है जिसका पीड़ित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के साथ हकदार हो सकता है।



38. किसी भी निजी अस्पताल या सरकारी अस्पताल के खिलाफ किसी भी विशिष्ट शिकायत की स्थिति में, तेजाब हमले का शिकार व्यक्ति निश्चित रूप से आगे की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

39. देश भर में तेजाब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में, हम गृह मंत्रालय के सचिव और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव को निर्देश देते हैं कि वे इस मामले को राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उठाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आज से तीन महीने की अवधि के भीतर इस संबंध में एक उचित अधिसूचना जारी की जाए।ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही ऐसी अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन हमारी राय में, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जल्द से जल्द ऐसी अधिसूचना जारी करनी चाहिए।

40. अंतिम मुद्दा आपराधिक चोट क्षतिपूर्ति बोर्ड की स्थापना के संबंध में है। दिनांक 14.03.2015 dks पर आयोजित बैठक में सर्वसम्मत विचार यह था कि चूंकि जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण पहले से ही प्रत्येक जिले में गठित है और तेजाब हमले के पीड़ितों से संबंधित उचित सहायता प्रदान करने में शामिल है, इसलिए शायद एक अलग आपराधिक चोट मुआवजा बोर्ड स्थापित करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है।दूसरे शब्दों में, प्राधिकरणों की एक बहुलता बनाने की आवश्यकता नहीं है।

41. हमारी राय में, यह दृष्टिकोण काफी उचित है।इसलिए, किसी भी तेजाब हमले के पीड़ित द्वारा किए गए मुआवजे के दावे के मामले में, मामला जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा उठाया जाएगा, जिसमें जिला न्यायाधीश और ऐसे अन्य सह-चयनित व्यक्ति शामिल होंगे, जिन्हें जिला न्यायाधीश महसूस करते हैं कि वे सहायक होंगे, विशेष रूप से जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और सिविल सर्जन या उस जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उनके नामित व्यक्ति।यह निकाय सभी मामलों के लिए आपराधिक चोट क्षतिपूर्ति बोर्ड के रूप में कार्य करेगा।"

(30) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उनके अधिपत्य

रावद शशिकल बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य 6 ने माना है कि

तेजाब हमले का मामला असभ्य और हृदयहीन अपराध का एक उदाहरण है।इस तरह के अपराध किसी भी तरह की दया के लायक नहीं हैं।जब चिकित्सा प्रमाण है कि युवाओं पर तेजाब का हमला हुआ था

[6](2017) 4SCC 546



लड़की और परिस्थितियों को ठोस साक्ष्य और दोषसिद्धि द्वारा घर लाए जाने पर अनुमोदन की मुहर दी जाती है, सजा को पहले से गुजर चुकी अवधि तक कम करने का कोई औचित्य नहीं था।उच्चतम न्यायालय के उनके अध्यक्षों ने अभियुक्त को Rs.50,000/- का मुआवजा देने और राज्य को 3 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।उनके अधिपत्य निम्नानुसार रहे हैं:-

"22. यह मामला प्रतिवादी 2 द्वारा किए गए असभ्य और हृदयहीन अपराध का एक उदाहरण है।यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है कि इस तरह के अपराध में नरमी की अवधारणा की कल्पना की जा सकती है।इस तरह का अपराध किसी भी तरह की दया के योग्य नहीं है।यह व्यक्तिगत रूप से और साथ ही सामूहिक रूप से असहनीय है।उत्तरदाता 2 ने महसूस

किया होगा कि प्रस्ताव को इस तरह से अस्वीकार करने से उसके अहंकार को ठेस पहुंची है या हो सकता है कि उसे अपने अतिरंजित सम्मान की भावना के लिए खोखलेपन की भावना का सामना करना पड़ा हो या हो सकता है कि इस विचार से निर्देशित किया गया हो कि बदला लेना सबसे प्यारी चीज है जिससे किसी की शादी की जा सकती है जब एकतरफा प्यार के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, लेकिन, जो भी स्थिति हो, आपराधिक कार्य, कल्पना के किसी भी विस्तार से, किसी भी नरमी या दया के योग्य नहीं है।हो सकता है कि प्रत्यर्थी 2 को इनकार से भावनात्मक पीड़ा का सामना करना पड़ा हो, फिर भी उक्त भावना को प्रतिशोध में परिवर्तित नहीं किया जा सका ताकि उसे इस तरह से कार्य करने का लाइसेंस मिल सके जैसा उसने किया है।

23. हमने जो कहा है उसे देखते हुए, उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण हमें झकझोर देता है और हमें ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं है।जब चिकित्सा साक्ष्य है कि युवा लड़की पर तेजाब हमला हुआ था और परिस्थितियों को ठोस साक्ष्य द्वारा घर लाया गया था और दोषसिद्धि को अनुमोदन की मुहर दी गई थी, तो सजा को पहले से गुजर चुकी अवधि तक कम करने का कोई औचित्य नहीं था।हम यह समझने से चूक गए हैं कि क्या विद्वान न्यायाधीश दया की किसी अज्ञात धारणा द्वारा निर्देशित किया गया है या सजा से संबंधित उदाहरणों से अनजान है या उस मामले के लिए, अदालत से सामूहिक अपेक्षा के बारे में सावधान नहीं है, क्योंकि समाज बड़े पैमाने पर कानून के अनुसार न्याय होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, सजा को कम कर दिया है।जब वर्तमान प्रकृति के अपराध में, यानी एक युवा लड़की पर तेजाब हमले में तीस दिनों की ठोस सजा दी जाती है, तो न्याय की भावना, अगर हम खुद को ऐसा कहने की अनुमति देते हैं, तो न केवल बहिष्कृत की जाती है, बल्कि अनौपचारिक रूप से भी होती है।

"वानप्रस्थ" को भेजा गया।यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

974



24. हमारे विश्लेषण को देखते हुए, हम उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा को दरकिनार करने और निचली अदालत की सजा को बहाल करने के लिए मजबूर हैं।उपरोक्त के अलावा, हम पीड़ित मुआवजे पर ध्यान देने के लिए तैयार हैं।हमारी सुविचारित राय है कि अपीलार्थी मुआवजे का हकदार है जो सी. आर. पी. सी. के तहत पीड़ित को दिया जाता है। अंकुश शिवाजी गायकवाड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य 19 में, दो-न्यायाधीशों की पीठ ने संशोधित प्रावधान, 154 वें विधि आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख किया, जिसमें संपूर्ण अध्याय पीड़ित विज्ञान के लिए समर्पित किया गया है, जिसमें पीड़ित पर अधिक जोर दिया गया है।

लक्ष्मी बनाम भारत संघ में, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:(एस. सी. सी. पी. 430-31, पैरा 12-13)

"12. धारा 357-ए को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में 2009 के अधिनियम 5 द्वारा अंतःस्थापित किया गया।

अन्य बातों के साथ-साथ, यह धारा पीड़ित या उसके आश्रितों, जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप नुकसान या चोट लगी है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, को मुआवजे के उद्देश्य से धन प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार करने का प्रावधान करती है।

13. हमें सूचित किया जाता है कि इस प्रावधान के अनुसार, 17 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों ने

तैयार की गई "पीड़ित मुआवजा योजना" (संक्षेप में "योजना")। तेजाब हमलों के पीड़ितों के संबंध में,इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाई गई योजना में उल्लिखित मुआवजा समान नहीं है। बिहार राज्य ने ऐसी योजना में 25,000 रुपये के मुआवजे का प्रावधान किया है, जबकि राजस्थान राज्य ने 2 लाख रुपये के मुआवजे का प्रावधान किया है। हमारे विचार में, अधिकांश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा योजना में प्रदान किया गया मुआवजा अपर्याप्त है। यह अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि तेजाब हमले के पीड़ितों को प्लास्टिक सर्जरी और अन्य सुधारात्मक उपचारों की एक श्रृंखला से गुजरना पड़ता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने हमें सुझाव दिया कि एसिड हमले के पीड़ितों के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मुआवजे को बाद की देखभाल और पुनर्वास लागत के रूप में कम से कम 3 लाख रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए। विद्वान महान्यायवादी का सुझाव बहुत उचित है।"

26. अदालत ने आगे निर्देश दिया कि तेजाब हमला



पीड़ितों को संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा देखभाल और पुनर्वास लागत के रूप में कम से कम 3 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इस राशि में से 1 लाख रुपये की राशि ऐसी घटना (या राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश के संज्ञान में लाए जाने) की घटना के 15 दिनों के भीतर ऐसी पीड़ित को देने का निर्देश दिया गया था ताकि इस संबंध में तत्काल चिकित्सा देखभाल और खर्च की सुविधा हो सके। 2 लाख रुपये की शेष राशि का जल्द से जल्द और सकारात्मक रूप से दो महीने के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया गया था और राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था।

27. राज्य में एम. पी. बनाम. महताब 21 (एस. सी. सी. पृष्ठ 200, पैरा 10), न्यायालय ने इस तथ्य के बावजूद कि यह घटना 1997 में हुई थी, अभियुक्त के सीमित वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए 2 लाख रुपये का मुआवजा तय करने का निर्देश दिया। इसने पाया कि उक्त मुआवजा पर्याप्त नहीं था और तदनुसार, अभियुक्त द्वारा भुगतान किए जाने वाले उक्त मुआवजे के अलावा, यह माना गया कि राज्य को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357-ए के तहत मुआवजा देने की आवश्यकता थी। उक्त उद्देश्य के लिए, सुरेश बनाम हरियाणा राज्य मामले में निर्णय पर निर्भरता रखी गई थी।

28. राज्य में एच. पी. बनामराम पाल, अदालत ने राय दी (एस. सी. सी. पीपी.586-87, पैरा 11) कि 40,000 रुपये का मुआवजा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपर्याप्त था कि 20 वर्ष की आयु की एक युवा लड़की की जान चली गई थी।न्यायालय ने सुरेश, मनोहर सिंह बनाम राजस्थान राज्य और मेहताब पर भरोसा रखते हुए चिंतित विचार करते हुए निर्देश दिया कि यदि अभियुक्त को कुल 1 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है और राज्य को मुआवजे के रूप में 3 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है तो ।

29. उपरोक्त निर्णयों के संबंध में, हम प्रतिवादी 2-अभियुक्त को 50,000 रुपये का मुआवजा देने और राज्य को 3 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश देते हैं।यदि अभियुक्त छह महीने के भीतर मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं करता है, तो उसे निचली अदालत द्वारा लगाए गए कारावास के अलावा छह महीने का और कठोर कारावास भुगतना होगा।राज्य



तीन महीने के भीतर निचली अदालत के समक्ष राशि जमा करें और पीड़िता की उचित पहचान होने पर विद्वत निचली अदालत का न्यायाधीश उसे उसके खाते में वितरित करेगा।

अनुग्रह करें।"

(31) मुन बनाम इलिनोइस 7 में यू. एस. सुप्रीम कोर्ट ने

घोषणा की कि "जीवन" शब्द से, जैसा कि यहाँ उपयोग किया गया है, इसका मतलब कुछ हद तक शून्य पशु अस्तित्व है।

न केवल जीवन से वंचित होना, बल्कि भगवान ने हर किसी को उसके विकास और आनंद के लिए जीवन के साथ जो कुछ भी दिया है, वह विचाराधीन प्रावधान द्वारा निषिद्ध है यदि इसकी प्रभावशीलता को न्यायिक निर्णय द्वारा नष्ट नहीं किया जाता है। प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार हैंः-

"कानून की उचित प्रक्रिया के अलावा, कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज से वंचित नहीं कर सकता है।

माना जाता है कि यह प्रावधान प्रत्येक व्यक्ति को सुख की खोज के लिए आवश्यक शर्तों को सुनिश्चित करता है, और इस कारण से, इसे पहले कभी नहीं किया गया है, और कभी भी किसी संकीर्ण या प्रतिबंधित अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए। चौदहवाँ कहता है, "कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून की उचित प्रक्रिया के बिना जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति से वंचित नहीं करेगा।"

संविधान में संशोधन। "जीवन" शब्द से, यहाँ के रूप में

उपयोग किया जाता है, इसका मतलब केवल पशु अस्तित्व से कुछ अधिक है। इसके अभाव के खिलाफ अवरोध उन सभी अंगों और क्षमताओं तक फैला हुआ है जिनके द्वारा जीवन का आनंद लिया जाता है। यह प्रावधान समान रूप से एक हाथ या पैर के विच्छेदन, या एक आंख को बाहर निकालने, या शरीर के किसी अन्य अंग के विनाश से शरीर के अंगछेदन को प्रतिबंधित करता है जिसके माध्यम से आत्मा बाहरी दुनिया के साथ संवाद करती है। न केवल जीवन से वंचित होना, बल्कि भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को उसके विकास और आनंद के लिए जीवन के साथ जो कुछ भी दिया है, वह इस प्रावधान द्वारा निषिद्ध है कि क्या न्यायिक निर्णय द्वारा इसकी प्रभावशीलता को नष्ट नहीं किया जाएगा।

"स्वतंत्रता" शब्द द्वारा, जैसा कि प्रावधान में उपयोग किया गया है, कुछ

इसका मतलब केवल शारीरिक संयम या जेल के बंधनों से मुक्ति से अधिक था। इसका अर्थ है जहाँ कोई व्यक्ति चुन सकता है वहाँ जाने की स्वतंत्रता, और इस तरह से कार्य करने की स्वतंत्रता, जो दूसरों के समान अधिकारों के साथ असंगत नहीं है, जैसा कि उसका निर्णय उसकी खुशी को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित कर सकता है-यानी, ऐसे आह्वान और प्रस्तावों को आगे बढ़ाना जो विकास के लिए सबसे उपयुक्त हो सकते हैं।

7 94 अमेरिका 113 (1876)

राजा बनाम हरियाणा राज्य

977

(राजीव शर्मा, जे.)

उनकी क्षमताएँ और उन्हें उनका सर्वोच्च आनंद दें।"

(32) ऑलगेयर बनाम लुइसियाना 8 में यू. एस. सुप्रीम कोर्ट ने

अभिनिर्धारित किया कि उस संशोधन में उल्लिखित "स्वतंत्रता" का अर्थ न केवल

नागरिक का अपने व्यक्ति के केवल शारीरिक प्रतिबंध से मुक्त होने का अधिकार, जैसा कि कारावास द्वारा, लेकिन इस शब्द को नागरिक के अपने सभी संकायों के आनंद में स्वतंत्र होने, सभी वैध तरीकों से उनका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होने, रहने और जहाँ चाहे काम करने, किसी भी वैध आह्वान द्वारा अपनी आजीविका अर्जित करने, किसी भी आजीविका या व्यवसाय को आगे बढ़ाने और उस उद्देश्य के लिए सभी अनुबंधों में प्रवेश करने के अधिकार को शामिल करने के लिए माना जाता है। प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार हैंः-

‘‘हम समझते हैं कि यह क़ानून संघीय संविधान के चौदहवें संशोधन का उल्लंघन है जिसमें यह प्रतिवादियों को कानून की उचित प्रक्रिया के बिना उनकी स्वतंत्रता से वंचित करता है। कानून जो इस तरह के कार्य को प्रतिबंधित करता है, वह

कानून की उचित प्रक्रिया नहीं बन जाता है, क्योंकि यह प्रावधानों के साथ असंगत है।

संघ का संविधान के प्रावधान को "

उस संशोधन में उल्लिखित "स्वतंत्रता का अर्थ न केवल नागरिक का अपने व्यक्ति के केवल शारीरिक प्रतिबंध से मुक्त होने का अधिकार है, जैसा कि कारावास द्वारा, बल्कि इस शब्द को नागरिक के अपने सभी संकायों के आनंद में स्वतंत्र होने, सभी वैध तरीकों से उनका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होने, रहने और काम करने के लिए जहां वह चाहे, किसी भी वैध आह्वान द्वारा अपनी आजीविका कमाने के लिए, किसी भी आजीविका या व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, और उस उद्देश्य के लिए उन सभी अनुबंधों में प्रवेश करने के अधिकार को शामिल करने के लिए माना जाता है जो ऊपर उल्लिखित उद्देश्यों को सफल निष्कर्ष पर पहुँचाने के लिए उचित, आवश्यक और आवश्यक हो सकते हैं।

यह श्री न्यायमूर्ति बार्डले ने कसाई संघ में कहा था।

कंपनी बनाम क्रिसेंट सिटी कंपनी, 111, यू. एस. 746,111 यू. एस. 762, उस में उनकी सहमति वाली राय के दौरान

कि " जीवन के किसी भी सामान्य व्यवसाय को अपनाने का एक अपरिहार्य अधिकार है

'खुशी की खोज' के तहत इस तरह से तैयार किया गया

स्वतंत्रता की घोषणा में, जिसकी शुरुआत हुई

मौलिक प्रस्ताव कि 'सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं;

कि उन्हें उनके निर्माता द्वारा कुछ अपरिहार्य अधिकार दिए गए हैं; इनमें जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज शामिल हैं।' यह अधिकार नागरिक की नागरिक स्वतंत्रता में एक बड़ा घटक है।"

8 165 अमेरिका 578 (1897)

978

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2019(1)

(33) तेजाब जलाने/फेंकने की घटनाएँ शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक यातना का कारण बनती हैं।प्रत्येक नागरिक को यह याद रखना चाहिए कि जो कुछ तेजाब हमले के पीड़ित के साथ हुआ है, वह उसके परिवार के सदस्यों के साथ भी हो सकता है।

(34) प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार है जिसमें किसी भी प्रकार की मानसिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक यातना से मुक्त रहने का अधिकार भी शामिल है, चाहे वह पीछा करना हो, यौन उत्पीड़न हो, जलाना हो आदि। तेजाब जलने का शिकार व्यक्ति कलंकित और आघातग्रस्त होता है।

(35) इस प्रकार, तेजाब हमलों के लगातार बढ़ते मामलों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए, हम निम्नलिखित अनिवार्य निर्देश जारी करते हैंः-

ए. हरियाणा और पंजाब राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के सभी निजी अस्पतालों को एसिड हमले के पीड़ितों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।

लक्ष्मी बनाम भारत संघ और अन्य मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय

और अन्य समान मामले। बी.हरियाणा और पंजाब राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में किसी भी व्यक्ति को काउंटर पर तेजाब की कोई बिक्री नहीं होगी, सिवाय एक लाइसेंस प्राप्त डीलर से दूसरे को या किसी लाइसेंस प्राप्त डीलर द्वारा किसी स्कूल या कॉलेज को या किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी या किसी मान्यता प्राप्त सार्वजनिक संस्थान या औद्योगिक फर्म के तहत किसी शोध या चिकित्सा संस्थान या अस्पताल या औषधालय को।यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से तेजाब बेचता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी।

ग. चूंकि मौजूदा प्रावधान असहाय महिलाओं पर तेजाब फेंकने/तेजाब हमलों को रोकने में विफल रहे हैं, इसलिए हरियाणा और पंजाब राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को आई. पी. सी. की धारा 326 ए, 326 बी, 354 ए, 354 बी, 354 सी और 354 डी से संबंधित अपराधों में शीघ्र प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है। ऐसे सभी मामलों में राजपत्रित अधिकारी की देखरेख में सात दिनों के भीतर जांच पूरी की जाएगी और उसके बाद चालान को सात दिनों के भीतर सक्षम आपराधिक अदालत में पेश किया जाएगा।राजपत्रित अधिकारी को दोषपूर्ण जाँच के मामले में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

डी. यौन उत्पीड़न, पीछा करने, दृश्यता और तेजाब जलाने से संबंधित मामलों को तेजी से ट्रैक करने की आवश्यकता है। हरियाणा और पंजाब राज्यों में विचारण न्यायालयों के साथ-साथ

राजा बनाम हरियाणा राज्य

979

(राजीव शर्मा, जे.)

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को आई. पी. सी. की धारा 326 ए, 326 बी, 354 ए, 354 बी, 354 सी और 354 डी के तहत दर्ज मामलों की दिन-प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई करने और तीन महीने के भीतर मुकदमे को समाप्त

करने का निर्देश दिया जाता है और यदि तीन महीने के भीतर मुकदमे को समाप्त करना संभव नहीं है, तो निचली अदालत द्वारा ठोस और पर्याप्त कारण दर्ज किए जाएंगे। निचली अदालत तेजाब हमलों से संबंधित मामलों में उचित संवेदनशीलता दिखाएगी।

ई. हरियाणा और पंजाब राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की सरकारों को भी निर्देश दिया जाता है कि वे मुकदमे के समापन तक आई. पी. सी. की धारा 326 ए, 326 बी, 354 ए, 354 बी, 354 सी और 354 डी के तहत दर्ज मामलों में मुकदमे के लंबित रहने के दौरान चश्मदीद गवाहों को सुरक्षा प्रदान करें।

च. हरियाणा और पंजाब राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की सरकारों को भी सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण के उद्देश्य से तेजाब हमलों के पीड़ितों को शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी में शामिल करने और उनके पुनर्वास के लिए अलग योजना बनाने का निर्देश दिया गया है।

N हरियाणा और पंजाब राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि आज से तीन महीने के भीतर हर जिला अस्पताल में जलने की चोटों से संबंधित मामलों के लिए विशेष वार्ड उपलब्ध कराया जाए ताकि संक्रमण से बचा जा सके।

t हरियाणा और पंजाब राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की सरकारों को तेजाब हमलों के पीड़ितों को उनके पूरी तरह से ठीक होने तक मुफ्त चिकित्सा सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।

>. हरियाणा और पंजाब राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की सरकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे एफ़. आई. आर. दर्ज होने के तुरंत बाद तेजाब हमले के पीड़ितों को एक लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करें और उन पीड़ितों को प्रति माह 7,000 रुपये की राशि का भुगतान करें जिन्हें थर्ड/फोर्थ डिग्री जलने की चोटें आई हैं। हरियाणा और पंजाब राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को भी उन मामलों में प्रति माह 5,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, जहां जलने की चोटें प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की होती हैं। पीड़ित भी रुपये की राशि के हकदार हैं-(तीन लाख रुपये) जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उनके लॉर्डशिप्स द्वारा आदेश दिया गया है।

जे. एस. मेहंदीरत्ता

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णयवादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता सभी व्यवहारीक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यानयन के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त रहेगा।

राधा कृष्ण

अनुवादक